कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक– 01/1317 /आउशि/शा.6 निर्माण/07 भोपाल, दिनांक– 01.01.2008

प्रति,

प्राचार्य,
नीचे दर्शाये अनुसार
शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय– वर्ष 2007–08 में (आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत) शासकीय महाविद्यालयों को निर्माणाधीन भवनों की निरन्तरता/अतिरिक्त निर्माण के लिए धनराशियों का आवंटन ।

ं, वित्तीय वर्ष 2007–08 मे आदिवासी क्षेत्रान्तर्गत शासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण / अतिरिक्त निर्माण की निरन्तरता हेतु महाविद्यालयवार निम्नानुसार धनराशियों का बजट आवंटन किया जाता हैः–

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृति राशि (लाख रूपये में)
1.	शा0 महाविद्यालय कोतमा जि0 अनुपपूर	20.00
2.	शा0 महाविद्यालय बैहर जि0 बालाघाट	20.00
3.	शा0 महाविद्यालय, आठनेर जि0 बैतूल	10.00
4	शा0 ज.ह. स्नातको0 महावि0 बैतूल	20.00
5.	शा0 महाविद्यालय भैसदेही जि0 बैतूल	10.00
6.	शा0 महाविद्यालय बिछुआ जि0 छिन्दवाड़ा	10.00
7.	शा0 महाविद्यालय दमुआ जि0 छिन्दवाड़ा	10.00
8.	शा0 महाविद्यालय हरई जि0 छिन्दवाड़ा	20.00
9.	शा0 महाविद्यालय जुन्नारदेव जि0 छिन्दवाड़ा	5.80
10	शा0 महाविद्यालय पेचवेली महावि0 परासिया जि0 छिन्दवाड़ा	10.00
11	शा0 महाविद्यालय शाहपुरा जि0 डिंडोरी	10.00
12	शा0 कन्या महावि खरगौन	10.00
13	शा0 महाविद्यालय बम्हनीबंजर जि0 मंडला	14.20
14	शा0 कला/वाणि0 महावि0 जयसिंहनगर जि0 शहडोल	23.10
	योग	193.10

(एक करोड़, तिरानवे लाख, दस हज़ार)

निरन्तर...2.

उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या–41–उच्च शिक्षा 4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय (01) सामान्य शिक्षा (203) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5086 महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण 32 लघु निर्माण कार्य आयोजना वर्ष 2007–08 के अंतर्गत विकलनीय होगा । **सम्पूर्ण राशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जावें और आहरण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावें ।**

3. स्वीकृत राशि प्राचार्य द्वारा तत्काल आहरण कर राशि महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के खाते में जमा कर इसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावें । जनभागीदारी समिति पूर्व में आवंटित राशि का उपयोग कर, उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात् आवंटित राशि निर्माण एजेन्सी को भुगतान करें ।

4. कई महाविद्यालय ऐसे हैं, जिन्हें पूर्व में धनराशियां स्वीकृत की गयी हैं, परन्तु या तो धनराशियों का उपयोग निर्माण कार्य में अभी तक नहीं किया गया है, या फिर अभी निर्माण कार्य आरंभ ही नहीं हुआ है । इस प्रकार, स्वीकृत धनराशियों को अवरूद्ध रखा जा रहा है । यह स्थिति पूर्णतः आपत्तिजनक और शासकीय वित्त व्यवस्था के विपरीत है । इस आधार पर यदि महालेखाकार की आडिट आपत्ति इसमें आती है तो संबंधित प्राचार्य इसके लिए व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे । अतः यदि जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त न होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से निर्माण कार्य आरम्भ नहीं

हुआ है या कुछ राशि किन्हीं कारणों से उपयोग में नहीं लाई गई है तो संबंधित जिला कलेक्टर और क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक से लिखित में और व्यक्तिगत संपर्क करके समन्वय एवं सार्थक प्रयास कर निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण कराया जावे । आशय यह है कि शासकीय धनराशि जिस प्रयोजन के लिए स्वीकृत की गई है , उस पर अनिवार्यतः राशि का व्यय समय पर योजनाबद्ध रूप से होना सुनिश्चित किया जावे ।

5. कार्य प्रगति का मासिक प्रतिवेदन भेजा जावे । सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राचार्य अपने एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण एजेन्सी अथवा निर्माण एजेन्सी प्रमुख के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी ।

संलग्न–कम्प्यूटर शीट

हस्ता / –

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्र0– 02 / 1317 /आउशि/शा.6 निर्माण/07 भोपाल,दिनांक– 01.01.2008

प्रतिलिपि–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा की ओर सूचनार्थ ।
3. जिलाध्यक्ष, ———————————
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग,सतपुड़ा भवन भोपाल ।
5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग / म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल जिला............. .... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु ।
6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, शासकीय महाविद्यालय ——————————— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

हस्ता/–

अतिरिक्त संचालक (यू)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश